न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 54/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती धापुकुंवर उर्फ धापुबाई पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी कुडी (जावड) तह. मावली।

.....प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
3. श्री शांतिलाल पिता गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
4. श्री सोहनलाल पिता गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
5. श्री तुलसीराम पिता गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
6. श्रीमती मगनीबाई पत्नी गहरीलाल लौहार निवासी सुरजी का गुडा तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली।
8. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 06.02.2020

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सुरजी का गुडा पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 3522, 3523, 3524, 3525 किता 4 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीयां का 3/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है परन्तु उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर सभी सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा किया हुआ हैं जिससे प्रार्थीयां अपने हक हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज हो उपयोग उपभोग करती आ रही हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थीयां को अपने हिस्से कब्जे की भूमि को विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास

Scanned with CamScanner

करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है और प्रार्थीयां अपने हिस्से कब्जे की भूमि का अधिकतम विकास नहीं कर सक रही है इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का अंकित सहखातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थीयां की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मौके पर सभी सहखातेदारान के मध्य बंटवाडा किया हुआ है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है इस बात का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी सं. 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थीयां के कब्जे हिस्से की भूमि को अपनी बताकर विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और अपने इस नाजायज उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु मौके पर आये दिन भूमाफियों को लाकर मुझ प्रार्थीयां के कब्जे हिस्से की भूमि को दिखा रहे है जबकि विपक्षी सं. 1 से 6 को मेरे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि को बेचने या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थीयां विपक्षी सं. 1 से 6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हुं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है किन्तु मौके पर सभी सहखातेदारों के मध्य बंटवाडा किया हुआ होकर सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं। लेकिन विपक्षी सं. 1 से 6 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है यदि विपक्षी सं. 1 से 6 मेरे हिस्से क़ब्जे की भूमि को अपनी बताकर विक्रय कर खुर्द बुर्द कर देंगे तो मुझ प्रार्थीयां को भारी दिक्कत होगी और अजनबी क्रेता मौके पर आकर मुझ प्रार्थीयां को बेदखल करने के प्रयास करेगें। इसलिए मैं प्रार्थीयां विपक्षी सं. 1 से 6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि जब तक उक्त वर्णित कृषि भूमि का विधिक रूप से मौके पर कब्जे एवं हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं हो जावें तब तक विपक्षी सं. 1 से 6 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ प्रार्थीयां के कब्जे हिस्से में क़िसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न कब्जा करे एवं राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीयां को भारी असुविधा एवं क्षति होगी एवं व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी सं. 1 से 6 को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति नहीं होगी। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीयां के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीयां को विपक्षी सं. 1 से 6 कें विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.11.2016 को पैदा हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 6 अपने साथ भूमाफियाओं को लेकर

akshay

Scanned with CamScanner

मौके पर आये और मुझ प्रार्थीयां की भूमि को विक्रय करने हेतु बताया। जिससे प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में विरूद्व विपक्षी सं. 1 से 6 इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि जब तक प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का विधिक रूप से मौके पर कब्जे एवं हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं हो जावें तब तक विपक्षी सं. 1 से 6 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे और मुझ प्रार्थीया के कब्जे हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करें। राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी सं. 7 से 9 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 से 6 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका विपक्षी सं. 8 पंजीयन नहीं करे एवं विपक्षी सं. 7, 9 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, नामान्तरकरण न खोले, न स्वीकृत करे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयां, विपक्षीगण एवं सह खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा होने के कथन मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये है, सहखातेदार के मध्य कभी आपसी सहमति से बंटवारा नहीं हुआ है, प्रार्थीयां स्वयं साक्ष्य से साबित करावें। जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त आराजी विपक्षीगण की पैतृक कृषि भूमि है जब तक उपरोक्त आराजी कृषि भूमि विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विपक्षीगण उपरोक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर काबिज काश्त होकर उसका हक व अधिकार है और प्रार्थीयां एक अजनबी क्रेता की हैसियत से बिना उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में जबरन ताकत के बल पर बंटवारा कराने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

9. यह कि प्रार्थीयां एक अजनबी क्रेता है जिसे विपक्षीगण की पैतृक कृषि भूमि पर किसी भी विशेष भू भाग पर कब्जा करने, विशेष भू भाग का कब्जे के आधार पर बंटवारा कराने का कोई भी हक व अधिकार नहीं हैं, जब तक विपक्षीगण की पैतृक कृषि भूमि का विधिवत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विपक्षीगण उपरोक्त आराजी कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर काबिज है, विपक्षी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कराने के अधिकारी हैं।

10. यह कि प्रार्थीयां का पति पुलिस विभाग में कार्यरत है जिसकी धौंस दिखाकर प्रार्थीयां अपने पति के सहयोग से गरीब काश्तकार विपक्षीगण को उनके हक व हिस्से से बेदखल कर विशेष भू भाग पर कब्जा करना चाहती है, जिसके चलते प्रार्थीयां व उसके परिवारजन आए दिन विपक्षीगण को उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि पर आने पर जान से मारने की धमकीयां दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता में उपरोक्त कृषि भूमि

Scanned with CamScanner

विपक्षीगण की पैतृक होकर विपक्षीगण का उपरोक्त आराजी कृषि भूमि में सामलाती हक व हिस्सा है, जब तक विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विपक्षीगण उपरोक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर काबिज है, प्रार्थीयां सामलाती कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थीयां का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला नहीं है, मात्र उनके कह देने से कि सह खातेदारान में मध्य बंटवारा किया हुआ है कहने से साबित नहीं हो जाता है, प्रार्थीयां को अच्छी तरह से ज्ञात है कि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि विपक्षीगण एवं उनके परिवार की पैतृक सम्पति है जिसका विधिवत् राजस्व रेकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है फिर उन्होने हिस्से की कृषि भूमि खरीदी और बिना विधिक बंटवारा कराये विपक्षीगण को जबरन ताकत के बल पर विपक्षीगण को उनके हक व हिस्से वंचित करने की नियत से विशेष भू भाग पर कब्जा करना चाहते है, प्रार्थीयां स्वयं कह रही है कि विपक्षीगण किसी अजनबी क्रेता को जमीन बेच देगे तो प्रार्थीयां को भारी परेशानी उठानी पडेगी जबकि वो स्वयं अजनबी क्रेता है जिसकी वजह से विपक्षीगणों को भारी परेशानी उठानी पड रही है इसलिए विपक्षीगण प्रार्थीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है, जब कि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि का विधिवत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छे से अच्छी ओर बुरे से बुरी नैर्सगिक न्याय एवं साम्या को ध्यान में रखते हुए बंटवारा नहीं हो जाये जब तक प्रार्थीयां को पाबंद किया जावे कि विपक्षीगण की पैतृक कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करें। किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी की जाती है तो प्रार्थीयां को मुकाबले विपक्षीगण को जो अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) होगा उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीयां को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा एवं अशोधनीय क्षति नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के तीनों बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में हैं।

12. यह कि दिनांक 01.11.2016 को प्रार्थीयां विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ वादीयां स्वयं साक्ष्य से साबित करावें।

13. अतः प्रार्थीयां ने मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर जो सहायता चाही है वो उसके पाने की अधिकारिणी नहीं है कि प्रार्थीयां के कथन की मौके पर सह खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा हो चुका है मिथ्या एवं मनगढन्त है, प्रार्थीयां विपक्षीगण के हक व हिस्से बाबत किसी भी प्रकार की कोई भी निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारिणी नहीं है, प्रार्थीयां विपक्षीगण की पैतृक सम्पति पर बिना विधिक बंटवारा कराये अपने पति के पुलिस विभाग में कार्यरत होने की धमकी देकर विशेष भू भाग पर कब्जा कर विपक्षीगण को उनके हक व हिस्से की सामलाती कृषि भूमि से बेदखल करना चाहती है जबकि जब तक विधिवत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा

Akshay

Scanned with CamScanner

नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर विपक्षीगण काबिज है, इसलिए प्रार्थीयां का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्त किया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

14. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RLW 2016 Page 475 पेश कर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीयां द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हिस्से तक आंशिक साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीयां द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम पर दर्ज होकर दोनो ही खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि सामलाती होने से प्रार्थीयां व विपक्षीगण का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं। विपक्षी सं. 1 से 6 बिना बंटवाडा कराये यदि मौके पर परिवर्तित कर देते है तो प्रार्थीयां को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होने से प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1 से 6 उभय पक्ष की

Scanned with CamScanner

बंटवाडा होने तक यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक निर्णित हुवे हैं। प्रकरण में यदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 6 भूमि के मौके में परिवर्तन कर देते है तो अनावश्यक पैचिदगीया होकर मुकदमेंबाजी बढेगी। अतः बंटवाडा होने तक उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। शेष अन्य विन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सूरजी का गुडा पटवार क्षेत्र जावड तह. मावली की आराजी नम्बर 3522, 3523, 3524, 3525 किता 4 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 से 6 मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned with CamScanner